बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक सं०–पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 43 पटना, दिनांक– 16/08/17

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2017 में दसवीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र रू० 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्तिका देने हेतु कुल रू 23,41,30,000/–** (रूपये तेईस करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2017 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार के छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू० 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्र्तगत प्रति छात्र रू० 10,000/– (रूपये दस हजार) की दर से वृत्तिका देने हेतु बजट उपबंधित राशि से कुल रू 23,41,30,000/– (रूपये तेईस करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार) मात्र की राशि का संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय एवं भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष 03–पिछड़े वर्गो का कल्याण–लघु शीर्ष 277–शिक्षा–उप शीर्ष 0101–शिक्षा– विषय शीर्ष 34–छात्रवृत्ति/वजीफा(0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड–11–2225032770101 के अधीन कुल बजट प्रावधान से रू 23,41,30,000/- (रूपये तेईस करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार) मात्र विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें एवं इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

4– साथ ही जिला पदाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगें कि निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ही मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जाय।

5– यह राशि बिहार के स्थायी निवासी विद्यार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2017 में दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता के आधार पर निर्गत सूची से संबंधित छात्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जो वर्ष 2017 में मैट्रिक (दसवीं) की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्रों यथा, जाति प्रमाण–प्रत्र, प्रवेश–पत्र, अंकपत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आधार संख्या, बैंक अकाउंट की छाया प्रति एवं संबंधित छात्रों की अभिभावक की वार्षिक आय रू 1,50,000/– (रू एक लाख पचास हजार) या रू 1,50,000/– (रू एक लाख पचास हजार)मात्र से कम हो का आय प्रमाण–पत्र की आवश्यक जाँचोंपरांत उचित पहचान कर एक मुश्त राशि रू 10,000/–(रू दस हजार) मात्र का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में हस्तानांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

7–जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी/भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र FORM-BTC-42(A) में उपलब्ध करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे साथ ही अव्यवहृत अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व प्रत्यार्पण करना सुनिश्चित करेंगें।

कृ०पृ०उ०

8– राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को ही मेधावृत्ति का लाभ दिया जाय।

9– प्रस्ताव में माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का सहमति प्राप्त है।

10– इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अनु०– **यथोपरि।**

11/8

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 43 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 43 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 43 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के निजी सहायक/सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सहायक, (बजट एवं आवंटन), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/मु०मेधा०–40–07/2015– 43 पटना, दिनांक– 16/08/17

प्रतिलिपि–आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट **http://bcebcwelfare.bih.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त वर्ष 2017 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़े वर्गों के छात्रों की जिला बार सूची एवं स्वीकृति राशि की विवरणी:–

प्रमण्डल का नाम	क्र0	जिला का नाम	रौल कोड	छात्रों की संख्या	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
पूर्णियाँ	1	पूर्णियाँ	11001	253	2150000
	2	अररिया	12001	273	2320000
	3	किशनगंज	13001	123	1050000
	4	कटिहार	14001	261	2220000
मुंगेर	5	मुंगेर	21001	614	5220000
	6	जमुई	22001	466	3960000
	7	लखीसराय	23001	315	2680000
	8	शेखपुरा	24001	217	1840000
	9	खगड़िया	25001	466	3960000
	10	बेगुसराय	26001	644	5470000
भागलपुर	11	भागलपुर	31001	867	7370000
	12	बाँका	32001	623	5300000
कोशी	13	सहरसा	41001	491	4170000
	14	सुपौल	42001	653	5550000
	15	मधेपुरा	43001	551	4680000
तिरहुत	16	मुजफ्फरपुर	51001	496	4220000
	17	सीतामढ़ी	52001	867	7370000
	18	वैशाली	53001	940	7990000
	19	प0 चम्पारण	54001	1066	7820000
	20	पू0 चम्पारण	55001	920	9060000
	21	शिवहर	56001	105	900000
दरभंगा	22	दरभंगा	61001	564	4790000
	23	मधुबनी	62001	1305	11090000
	24	समस्तीपुर	63001	1355	11520000
पटना	25	पटना	71001	1199	10190000
	26	नालंदा	72001	1477	12550000
	27	भोजपुर	73001	756	6430000
	28	रोहतास	74001	1302	11070000
	29	बक्सर	75001	533	4530000
	30	भभुआ	76001	555	4720000
मगध	31	गया	81001	1738	14770000
	32	नवादा	82001	739	6280000
	33	औरंगाबाद	83001	985	8370000
	34	जहानाबाद	84001	363	3090000
	35	अरवल	85001	460	3910000
सारण	36	सारण	91001	1624	13800000
	37	सीवान	92001	833	7080000
	38	गोपालगंज	93001	546	4640000
		कुल योग		**27545**	**234130000**

(रू० तेईस करोड़ एकतालीस लाख तीस हजार)मात्र

पत्रांक– 43 **दिनांक–** 16/08/17 **का अनु०**

सरकार के सचिव।

manoj2/desktop/sanction 40/vn